प्रभात खबर - 23-08-13

11 जिलों में आवासविहीन अनुसूचित जाति परिवार नहीं

पटना ■ राज्य के 11 जिलों में अनुसूचित जाति के सभी परिवारों के पास आवास उपलब्ध है. इन जिलों में डीएम ने इंदिरा आवास की राशि सरेंडर की है. इन जिलों को आवंटित अनुसूचित जाति के लिए इंदिरा आवास के निर्धारित कोटे को अब दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग

- जिलाधिकारियों ने सरेंडर की इंदिरा आवास की राशि
- दूसरे जिलों को दिया जायेगा कोटा : सचिव

के सचिव अमृत लाल मीणा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और अररिया जिलों में सभी अनुसूचित जाति के गृह विहीन लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है. मौके पर मनरेगा आयुक्त मिहिर कुमार सिंह उपस्थिति थे.

पहली किस्त मिली

चालू वित्त वर्ष में गुरुवार तक चार लाख 76 हजार परिवारों को इंदिरा आवास की प्रथम किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है. राज्य में मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गयी है. इसमें महादलित परिवार के वैसे लाभार्थी जो दूसरी किस्त की राशि मिलने के बाद आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दो हजार रुपये अलग से देने की व्यवस्था की गयी है. इंदिरा आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी पंचायतों में एक आवास कर्मी,15 पंचायतों पर एक ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, हर प्रखंड में एक लेखा सहायक और 10 पंचायतों पर एक एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट को तैनात करने की पहल की गयी है. देश के आठ राज्यों में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी में विसंगति है. बिहार पहला राज्य है जो अपने कोष से मनरेगा मजदूरों की विसंगति को दूर करने के लिए 24 रुपये प्रति मानव दिवस की दर से भुगतान कर रहा है. 30 जिलों में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना का काम 95 फीसदी हो चुका है, जबकि 24 जिलों में 99 फीसदी जनगणना हो चुकी है. सितंबर तक 49 हजार स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज दिया जायेगा. बीपीएससी से चयनित 532 पदाधिकारियों की भी तैनाती होगी.